

1. कुपड़ीट थांड V/s भारत सरकार - 2017 D.B. SC
- SDC Sec 375 का अपनाफ (2) ART- 14, 15 और 21 का  
उल्लंघन करता है कि: निरस्त उच्च बोग्योगप है तथा Poca  
ACT के प्रावधानों के विरुद्ध ही है।  
"किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के लाए जिम्मेदार मृत्यु न  
बलात्में नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से उम्र छी नहीं है।"
2. MS METERS and Instrumentation Part I & II v/s Government 2017
- याडी Accused पैड घनत्वात्रि + ऊजत्वा जैसे हीही निपत्रिती  
परजाम करने के लिए ले (COURT टालें जु) उपशासन कर लगता  
तथा Accused को व्यक्तिगत उपकारिष्ठ दृष्टि के लिए याडी का प्रभाव  
भारी रखे जाने थोगप है।
3. श्री शृङ्खल पौष्टि भारत सरकार - 2014
- ART- 72(1)(b) के क्रमादान की शर्किन का J.R. इस आधार पर 13  
द्वारा चालिया नियतराण के अनुसन्धान, अपवृत्ति का तथा अन्तर्विषय  
विलम्ब किया जाता है तो Death Penalty का संकेत दिया जाता है।
4. श्री यामनारायण - पौड़िसे v/s भारत सरकार - 2018
- दिल्ली दालमें जीवन लिलम प्राप्ति उच्च जाने से पूछे गए परालूण  
लिखा गया आडेशामन कर्ता नहीं बैठकिया व निर्देशालक्त हो जा दिया गया  
को सामान में छड़े होने से छुट की खोयगी।
5. समीर निवास साराज भारत सरकार v/s निलंग हाईकोर्ट - 2017
- D.V. ACT Sec. 17 के साक्षी गृहनी जाति-पत्नी दोनों के नाम ही तो  
D.V. के अनियोगन में पाते के, निवास कोडश भारी करने पाते के, नियंत्रि  
त अवगत होने का नियुक्त उपाय जो दर्शाता है।
6. शापरालाल v/s भारत सरकार - 2017, निवास प्री 6 3:2
- लीनतलाड/ललाड उल्लिंदरत को अपाह उपायालाद्वय द्वा  
रा नियंत्रित किया जाता है तथा अन्तर्विषय  
पर ART 14 के 10(1)(b) के द्वारा उपायालाद्वय द्वारा नियंत्रित  
उल्लंघन करता है तथा ART 25(1), 26B वा 29 वा  
संरक्षित है।

उम्मीदः

7. राजेश शर्मा पुरुष UP राज्य 2017  
 ५७८ A (90) के दस्तावेजों की बहुती व्यापारियों ने गठिले ही अंगठीरला-  
के कारण अत्यधिक वित्तीय लूटे छोड़े पर सामान्य विश्वास के दशर्जनी-  
पूर्वमें डीरि शुष्ट्रापुर क्षारदेव छात्रों के बारेमें  
अनेकों कुमार एवं बिधायकों - 2014 - नियमान्वयी के बारेमें  
ललित कुमारी एवं प. प. स. का 2013 - अधिकारीपुर के विवाहीपुर बोर्ड  
बिकेश - नियमान्वयी

8. राजेश कुमार पाल पुरुष आसानराज्य 2017  
 Default Bail CRPL 167(2)(ii) के 60/90 में Invest. द्वारा द्वय

9. Jyoti के लिए रसोई स्वास्थ्यामी पुरुष मारतर्हंश - 2017 9 दस्तावेजों की व्यापारियों  
 ए.प.रामी पुरुष लक्षीशन्पन्डि जिला नियमान्वयी दस्तावेज - १९५४ - लैक्ष्मीनगर  
 रुद्रपुरीसद ५५ UP राज्य - १९५४ एकाहता के लिए दोषियाँ घरों से छोड़ा गया था  
 को overrule कर - एकाहता के लिए एक ART विचार मूल विचारालय  
 उन्हें नियमित आवार और योग्यता के प्रबलन से संबंधित हैं।

10. अमरदीप सिंह पुरुष दस्तावेज - 2017  
 नियमान्वयी द्वारा 13(ख) के (ii) में गोदडी प्रतिकानी के लिए  
 आदेशालय नदी वर्तन नियमालाके ही पाठे अत्यधिकरण - १९८८-९३  
 स्पष्टाविकल, ५३ गोदडी नदीयोग्य, अंग्रेजी तक - ३०५ लीकित-  
 गोदडी तो निपटा निपटा ही) वर्षी छोटी ही तो विचारण जल  
 स्वाविकेतानुसार अवधियों में छोटे सहज हैं।

11. सुबलाराम पाठेश्वरी पुरुष मारतर्हंश 2016 (समरीटेन्सलों)  
 राज्य के विभिन्नों में धापल व्यवस्थायों को नियमालापर्याप्त, तो काल ५५  
 वर्ष धारीपत्र पक्ष्याने वाले व्यक्ति (समरीटेन्स) को दिक्षणप्रदान  
 करने हेतु विश्वास नियंत्रण अर्थी १० जाइलाइन्स

12. श्रीष्टि मोहनदास पुरुष हिमाचल प्रदेश - 2017  
 यह कोई प्राकार जो इकाई नियम साम्य उभागित भराना पाहता है। परन्तु उसकी  
 पहुंच उस व्यक्ति तक नहीं होती जिससे वह Document उत्पादित विद्या गया था तो  
 Evidence Act के Sec-65B में ऐसा प्रमाणात्मक प्रमाण उत्पादित करना एवं प्रमाणित  
 करना अपर्याप्त नहीं होता। उस Judgment के दरपाल द्वारा @द्वारा  
 ५५ प्राकार 2016 की Overrule दिया जिसमें Mobile Details हेतु प्राप्त अवधियाँ

13. सोराल एवं कान फैसले फौर मानविकीर ५१ भारत संघ - 2018

S.C. का ७०८ की धारा ४९८A के संबंध में पुष्टि मिणी राजेशारामा ५१ UP. 2017  
द्वारा खारी छिपे दिशा निर्देशों को मिरस्त किया गया। जो अन्वेषण गिरजारी  
व जमानत के संबंध में हैं। - No. CASE NO. 07 देवे

14. नवरंज सिंह जोहर ५१ भारत संघ 2018 - संविधान पीड़ी

IPC की धारा - ३७७ अंशिक १७५ से असंबंधित - ART 14 व 19 छ.  
उल्लंघन करती है। अत एल० जी० बी० टी० समुदाय के अधिकारों तक मिरस्त,  
① दो वयस्कों के मध्य सहमतिजन्य योन कृत्य को दण्डनीप बनाए - ५०८।  
बीच - सभी मानवों में IPC. ३७७ संबंधित है।  
इस नियम की धारा S.C. का पुष्टि मिणी सुरेकाकुमार बाशल ५१ नाम प्राप्ति  
मिरस्त किया गया।  
Homosexual - पुरुष का पुरुष से  
Heterosexual - पुरुष का महिला से  
Lesbian - महिला का महिला से

तीनों दीर्घितों में असंबंधित

पुरुष या महिला का पशु के संबंध संबंध लगाए - IPC ३७७ में संबंधित।

15. जीसफ सिने ५१ भारत संघ 2018 - संविधान पीड़ी

IPC की धारा - ५९१ (भारत) के offence में - उपले पुरुष के दिउत्तरे  
तथा महिला को कोई न माने जाने के लिए - असंबंधित है। इस  
ART. 14, 15 तथा 19 का violation छरणी ही साथ ही १९८८ की  
धारा १९४(2) विभिन्न दोषों का भी अकेले होने से मिस्त  
के समर्थन।

16. महेंद्र याचला ५१ भारत संघ - 2018 . ART-32

धरा "सामी संरक्षण योजना" २०१४ लागू - भवतु संसद छारा इस संबंध में किये  
लोगों के लिए नहीं बना दी खाती तब रुक्त ART 141/142 के अधीन सामान्य विभिन्न दोषों  
का लाभ नहीं "सरकार ५१ आवास में जापू" के मानवों के लाभियों की हृत्या, धमकी तथा  
तिभासा ३८प्रैरणा के अपार पर दाँड़ मानवों के साक्षियों के संरक्षण हेतु बोध्य

17. स्वचिन बिपाही ५१ सुनील कोटी ऑफ इंडिया - 2018

८४पंक जनादेत मानवों तथा कुछ आपाहित मानवों में ८० छों सुनार्ह  
कार्यालयों का सजीव वसीधा प्रसारण स्वीकृति बिपाही पर सुरक्षा  
संबंध में रुक्त आपाहित ८४पंक भी गतिशील, विद्युत्यात् को ध्यान देता है।  
आपेक्षा (CRPC Sec 327 एवं CPC की धारा - १५८-वी) के अन्तर्गत

18. लहसीन एवं बनवाला ५१ भारत संघ 2018

८५ MOB henchies के मानवों में पूरे देश के पुलिस अशासन हेतु दिया  
निर्देश खारी करना पड़ा जिसमें अमृतस्करो, डायन महिला तथा लड़  
जोहाई के आरोपी भी अनिवार्यत भी धरा पिटाई भी जाती हैं।

- शांति वाहनी पुर भारत संघ - 2018  
 Hold your killing IPC में अपराध है कहा: ऐसी घटनाएँ पर तु IPC की घटा  
 141, 143, 503, 506 के साथ उनके लिंकिंग द्वारा जो ये फ्रैंज इनके  
 दोषी प्राप्ति के बिना अभियोजन द्वारा दिया जाके दृष्टा नहीं।  
 1. कामनजाज सोसायटी पुर भारत संघ - 2018 भारी छिपे  
 विशेष परिस्थितियों में Passive युवानाशियाएँ मान्यता ही गई  
 H.C. के निर्देशों के अन्तर्गत लोकलोगों की राय द्वारा जीकरण  
 उपचरणों को हटाया जाता है जो रोगी को हड्डियां बाल छेड़  
 भीखित बखते हैं।
- राष्ट्रीय कोषिष्ठ सेवा प्रार्थक उमा पुर भारत संघ 2014 (NALSA)  
 सरकार किन्नरों (हैंडो) को देश के तटीय जिलों पर व्यापक तथा  
 देश के अन्य नागरिकों की तरह सभी कोषिष्ठ व लंबोधा किए  
 अद्वितीय दिया जाना चुनिष्ठ पहल है।
- लिङ्गीयां समर एवं लोक पुरी पुर भारत संघ - 2013  
 भैन प्रति नियत अधिक 1951 की धारा 8(4) असंवेच्यानुकूल है  
 जिसी ने अदालत से दोषी भरार पाके जाने और 2 वर्षों का  
 इसके अधिक ती सजा मिलने पर सांसद भा किया।
3. पीपुल्स प्रीनिया काफ लिंकल लिंबीज़ (PPL) पुर भारत संघ 2013  
 मतदाता को निवाचिक को नकारने का अधिकार मिलना  
 पाएंगे मतपत्र या EVM के बाहे of Above (NOA)  
 का विनियोग होना चाहिए।
4. शोलीष मनुजाई परमार पुर भारत का युवाव अधिकार (ECI) 2018  
 NOA की व्यवस्था के अनुचुनव के लिए ज्ञान  
 जो सकता है इन्हें आयोजित करना चाहिए।  
 "पुनावेद्दु" ज्ञान दिया जाना ART 80(4) के अनुसार  
 भावनाओं के उल्लंघन में होगा।

25.

ਰਾਜੀ ਗੋਦਮਦ 78 ਨੋਂ ਮਾਰਲੁਪ ਪੰਜਾਬ  
 ਛੇਪਾਲ ਸਿਹਤ @ ਛੋਟਾ ਪੁ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ - 2016 SC  
 ਛੋਨ ਕਾਵਲ ਜੀ ਡਿਰੋਲ ਤਲਤੁ ਸਾਡੇ ਕੁ ਰਾਧ ਮੁ ਥਾਈ ਨਵੀ ਲੁ  
 ਅਬਰਤ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕ 0 ਜੀ ਧਾਰਾ - 65B (4) ਕੁ ਅਨੱਗਤ ਧਾਰਾ  
 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਨ ਹੈ

26.

ਅਨੱਗਰ P.V 7/1 ਪੀ 0 ਕੁ 0 ਬਣੀ 2014 SC  
 ਫੈਲੋ ਬੰਡੀ ਸਿਨੁ ਅਮਿਲੇਟਰ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤਲਤੁ ਥਾਈ ਨਵੀ ਹੋਣ ਵਿਖ  
 ਤਕ ਕਿ ਕੁ ਦੁਇ ਵਰ ਜੀ ਧਾਰਾ - 65B(4) ਕੁ ਅਨੱਗਤ ਧਾਰਾ  
 ਪ੍ਰਾਰਥ ਮੇ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਨ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਨ ਹੋ ਕਿਧੂਆਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਵਿਖੇ

27.

੧੯੫੭ ਸਿੰਘ ਪੁ ਗਿਪੁਰਾ ਰਾਜ਼ - 2017 SC  
 ਏਡਿਟ ਵਾਕਿਊ ਕੁ CRPC ਜੀ ਧਾਰਾ 372 ਕੁ ਪਰਲ੍ਹ (ਤਿ. 31/12/05  
 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ) ਕੁ ਅਧੀਨ ਅਨਿਪੁਸ਼ੁ ਜੀ ਵੇਖਿਸ਼ਕੁ ਕੁ 08/06  
 ਕੁ ਪਿੱਛੂ ਅਧੀਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਰਗਾਨ ਆਂ ਅਤੇ ਸਚੰਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  
 ਕਿਨ੍ਤੁ ਏਲੀ ਅਧੀਨ M.C. ਜੀ ਅਨੁਸਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਭਿਪਾ ਜਾ ਸਲਤਾ ਹੈ  
 (ਸੱਤਾਫਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁ M.P. ਰਾਜ਼ - 2015) ਕੁ ਨਿਅਤਿਆਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ  
 372 ਕੁ ਪਰਲ੍ਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 378(3) ਕੁ ਸਾਫ ਪਛ ਆਨ ਪਾਹੀ

28.

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ - 2014 SC. (Constitutional Bench)  
 ਤੁਰੀ ਅੰਫੇਨਸੀ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵਾਰਨ ਕੁ ਛੋਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੇ ਇਹ  
 ਕਿਵੀ ਧਾਰਨ ਨੇ ਜੋ Accused ਨਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਫੇਨਸੀ ਤਿਵ ਹੀ ਦੇ  
 ਜਿਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਨ ਕੁ Accused ਦੇ ਲਾਗ ਕਿਵਾਣ ਭਿਪਾ ਜਾ  
 ਸਲਤਾ ਹੈ ਵਾਹੋ COURT ਤਕਤੇ ਕਿਨ੍ਹੂ ਕਾਨੂੰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ① FIR ਦੇ ਨਾਮ ਨ ਹੈ
- ② FIR ਦੇ PARTY 2 ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ
- ③ FIR ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਂਕੇਨ charge sheeted ਨਵੀ ਭਿਪਾ ਹੈ
- ④ Person ਦੀ Discharge ਦਿਤਾ ਗਿਆ
- ⑤ ਕੇਵਲ Chief exam. ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਹੀ ਜੋਡ ਦਾ ਸਨਾਤ ਹੈ

ਥਾਉਂ Record ਦੇ Material ਤੁਲਾਵਾਈ Cross Exam ਕਿਵੀ

ਧਰਮਪਾਲ ਪੁ (ਵਿਰਪਾਤ) 2014 SC (Constitutional Bench.)

ਮਾਲੇ ਜੀ ਸੁਪੁਵੀਨੀ ਦੀ ਲਾਈ Sec. 193 ਦੇ ਸੇਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾਨ

29

जोड़ने के लिए sec 319 CrPC के साथ की इच्छा  
वही जरूरत है file documents के  
आपार पर विचार करें अतिरिक्त अधिकृत के समान  
कर सकता है CrPC 319 के अन्तर्गत सेवानं प्रोग्राम  
साथ अग्रिमलेखन के स्तर पर सीधे (Direct) मान  
के लिए है।

30 लूबिल उमरी वा उत्तरपुड़िया दरकार - 2008/2014 (Civil.Bench)

154 CrPC के अन्तर्गत सरोप अपराध की शूलना प्राप्त होने पर FIR  
दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य है या प्रारम्भिक जांच  
करना आवश्यक है।

- ① यदि शूलना के सरोप offence कारित होमा प्रकट होते FIR इसे करा  
आजाए तो प्रारम्भिक जांच जरूरी नहीं।
2. यदि शूलना के सरोप जांच प्रकट नहीं होता तो प्रारम्भिक जांच जरूरी
3. यदि जांच के सरोप offence प्रकट होता FIR इसे करना जरूरी होता है।  
इस शूलना जरूरी नहीं होता इसलिए जी शूलना नहीं में परिवारी  
को उठाए सहित दिया जाना जरूरी।
4. सरोप offence प्रकट होने पर FIR इसे करने पर पुलिस अधिकारी  
के विरुद्ध जारीवाली आमतः है।
5. उन मामलों में प्रारम्भिक जांच जरूरी है।—

- (क) वैवाहिक किसी (३) लाइजेंस अपराध
- (ख) परिवारिक घटना (४) चिकित्सा उपेक्षा के मामले
- (ग) अव्याधार के मामले (ए) मानव जहां प्राइवेट अधिकृत देनी से सेवा गया है।